न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/146

ज्ञान सिंह पुत्र विशाखा सिंह जाति जट सिख आयु 85 वर्ष, निवासी ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अतुल वशिष्ट, अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 23-1-2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर, कोटा ने अपने आदेश दिनांक 01.02.2017 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 10 के तहत वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किये जाने हेतु ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा की सिवायचक भूमि आराजी खसरा नम्बर 1844 की 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 1845 की 1.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 1846 की 2.49 हैक्टर कुल 03 किता रकबा 6.80 हैक्टर भूमि आरक्षित रखने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय जिला, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2017 निरस्त करने का निवेदन किया ।

4. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जिसकी अपीलान्ट

ई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.03.2017 वारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अपीलान्टगण उक्त भूमि पर पिछले 50–60 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर गेहूं की फसल बाई गई है वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलान्ट के फसल खडी है । उक्त भूमि में से कुछ भूमि राज्य सरकार द्वारा मदन लाल, भूलीबाई, बालचन्द पिसरान जुहारी लाल को आवंटित की गई थी और उनके द्वारा उक्त आवंटनशुदा भूमि को मुन्नी अख्तर पत्नी अब्दुल सत्तार को विक्रय कर दिया जिसकी भी अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी पेश की हुई है जिस पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा वादग्रस्त आराजी पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया हुआ है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसके किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2017 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हु विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

9. जिला कलक्टर, कोटा ने अपने आदेश दिनांक 01.02.2017 के द्वारा राजस्थान भू–राज अधिनियम, 1956 की धारा 92 एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 10 तहत वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किये जाने हेतु ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा सिवायचक भूमि आराजी खसरा नम्बर 1844 की 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 1845 की 1. हैक्टर, खसरा नम्बर 1846 की 2.49 हैक्टर कुल 03 किता रकबा 6.80 हैक्टर भूमि आरक्षि रखने का आदेश पारित किया । उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अपील का कोई विधिक अधिकार नहीं है । यदि यह मान भी लिया जावे कि अपीलान्ट का उक्त पर कब्जा है, तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत से हैं जिससे उसे किसी प्रकार का

अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिजकी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2017बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 23.1.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा